भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2437

मंगलवार, 10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

इलेक्ट्रॉनिक फर्मों के लिए 'मेक इन इंडिया' पहल

2437. श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स फर्मों के लिए 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत प्राप्त आयात में सटीक कमी के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने किस सीमा तक यह सुनिश्चित किया है कि स्थानीय विनिर्माण में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की गुणवत्ता और वहनीयता को बढ़ावा दिया जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मोबाइल फोन और घरेलू उपकरणों के लिए वर्तमान में स्थानीय रूप से प्राप्त किए जा रहे संघटकों की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले पैनल जैसे महत्वपूर्ण संघटकों में स्थानीयकरण में वृद्धि करने संबंधी रूपरेखा की योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार स्थानीय उत्पादन बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को किस सीमा तक सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या सरकार ने 'मेक इन इंडिया' की शुरुआत से लेकर अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में रोजगार सृजन के संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ) : निवेश में सहायता करने, नवप्रयोग को बढ़ावा देने, सर्वश्रेष्ठ अवसंरचना का निर्माण करने तथा भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाने के लिए 25 सितंबर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत की गई। यह अपनी तरह की अनूठी 'वोकल फॉर लोकल' पहल है, जो भारत के विनिर्माण क्षेत्र को पूरे विश्व में बढ़ावा देती है। देश में घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विदेशों में भारतीय मिशनों के माध्यम से निवेश आउटरीच संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान में, मेक इन इंडिया विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों में कार्यान्वित 27 क्षेत्रों पर फोकस करता है।

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। उत्पादन लगभग दोगुना होकर वित्त वर्ष 2017-18 के 48 बिलियन डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें मुख्य रूप से मोबाइल फोन का योगदान है जो अब कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद का 43 प्रतिशत हिस्सा है। भारत ने स्मार्टफोनों के आयात पर अपनी निर्भरता में काफी कमी की है।

भारत अब 99 प्रतिशत विनिर्माण स्वदेशी रूप से कर रहा है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों, बेहतर अवसंरचना और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ विभिन्न पहलों की सहायता से घरेलू विनिर्माण में तेजी आई है तथा विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 'इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012' (सीआरओ) को अधिसूचित किया है जिसे अब 'इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (आवश्यक रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021' के रूप में पुन: अधिसूचित किया गया है। यह अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद श्रेणियों के लिए भारतीय सुरक्षा/सुरक्षा मानकों/अनिवार्य आवश्यकताओं को अधिदेशित करता है। वर्तमान में, सीआरओ के तहत सीसीटीवी के लिए 64 उत्पाद श्रेणियों और अनिवार्य सुरक्षा आवश्यकताओं को अधिसूचित किया गया है। अनिवार्य पंजीकरण आदेश के परिणामस्वरूप अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक सामानों के मामले में भारतीय सुरक्षा मानकों का बेहतर अनुपालन और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित हुआ है।

सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों के परिणामस्वरूप अनेक क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता में कमी आई है। उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन का आयात वर्ष 2014-15 के 48,609 करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2023-24 में 7,665 करोड़ रुपए हो गया। दूसरी ओर, मोबाइल फोन का निर्यात वर्ष 2014-15 के 1,566 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1,28,982 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। जहां तक स्थानीय घटकों की खरीद का संबंध है, यह प्रत्येक मोबाइल और मॉडल में अलग-अलग होता है, जो कंपनी पर निर्भर करता है। हालांकि, कुल मिलाकर देश में मोबाइल विनिर्माण में घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) 18-20 प्रतिशत है।

सरकार ने, देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण ईकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को अनुमोदित किया है। इस कार्यक्रम के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता में, (i) भारत में सेमीकंडक्टर फैब आधारित सिलिकॉन कॉम्प्लिमेंटरी मेटल-ऑक्साइड-सेमीकंडक्टर (सीएमओएस) की स्थापना के लिए समान आधार पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, (ii) भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए समान आधार पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, (iii) भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटॉनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर्स (माइक्रो इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम्स सहित) फैब/ डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, परीक्षण, विपणन और पैकेजिंग (एटीएमपी)/आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण (ओएसएटी) की स्थापना के लिए समान आधार पर 50 प्रतिशत पूंजीगत व्यय शामिल हैं। यह कार्यक्रम, चिप डिजाइन को प्रोत्साहन देने के लिए 15 करोड़ प्रति आवेदन की सीमा के अध्यधीन, पात्र व्यय के 50 प्रतिशत तक उत्पाद डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन तथा 30 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन, 5 वर्ष के दौरान निवल बिक्री के 6 प्रतिशत से 4 प्रतिशत का 'डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव' भी उपलब्ध कराता है। सरकार ने दक्षता को बढ़ाने तथा उत्पादन प्रक्रिया (साइकिल टाइम) में तेजी लाने के लिए सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला, मोहाली के आधुनिकीकरण को भी अनुमोदन प्रदान किया है।

सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 5 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को पहले ही अनुमोदित कर दिया है, जिसका कुल निवेश लगभग 1,52,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा,

भारतीय उत्पादों के लिए चिप डिजाइन करने हेतु डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम के तहत 15 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को भी अनुमोदित किया गया है। साथ ही, 41 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को उन टूल्स (जिन्हें ईडीए टूल कहा जाता है) तक पहुंच प्रदान करने का अनुमोदन दिया गया है, जो चिप की डिजाइनिंग के लिए अपेक्षित है। इन्हें सी-डैक बेंगलुरु में स्थित चिपइन सेंटर में स्थापित नेशनल ईडीए टूल ग्रिड द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ङ) से (ज) : एलएसईएम और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम के तहत, नवंबर, 2024 तक क्रमश: 7680 करोड़ रुपए और 58.45 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि संवितरित की गई है। पीएलआई, ईएमसी, एमएसआईपीएस, स्पेक्स और सेमीकॉन जैसे स्कीमों का लाभ एमएसएमई भी प्राप्त कर सकते हैं।

भारत सरकार ने, संपूर्ण देश में ईएसडीएम क्षेत्र के विकास के लिए ईकोसिस्टम के निर्माण में सहायता करने के लिए ईएसडीएम क्षेत्र में कौशल विकास हेतु दो स्कीमें यथा 'इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र में कुशलता विकास के लिए चुनिंदा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता' योजना' (स्कीम-1) और 'डिजिटल इंडिया के लिए ईएसडीएम में कौशल विकास' (स्कीम-2), अनुमोदित की हैं। ये दोनों स्कीमें मुख्य कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों अर्थात् भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद् (ईएसएससीआई), दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद् (टीएसएससी), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) द्वारा, उनके मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण भागीदारों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही हैं। इन स्कीमों के तहत, अब तक 4,93,926 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 3,72,834 प्रतिभागियों को प्रमाणित किया गया है। प्रमाणित किए गए कुल प्रतिभागियों में से, 1,44,051 महिलाएं हैं। उद्योग जगत के अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 तक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 2.5 मिलियन (25 लाख) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित हुई हैं।

*****